उत्तर मध्य रेलवे

पत्र सं.- JHS/Commercial/e-Auction/26/193 दिनांक- 02.07.2026

ई-नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से **मण्डल रेल प्रबन्धक (वाणिज्य), झांसी** द्वारा निम्न दी गयी श्रेणियों के अनुसार ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है:-

श्रेणी: प्रचार	केटलॉग संख्या: JHS-NFR-MIX-68

एसेट्स डिटेल्स: E-auction के माध्यम से सिस्टिमेयस स्टेटिक पालिसी के तहत निम्न रेलवे स्टेशनों पर ठेकों का आवंटन:-

1. Display of Advertisements on the interior through Stickers in Train No. 11841/11842 (KURJ-KKDE Express).
2. Advertisement right through RDN NON - DIGITAL media (flex board / glowsign board / tran slight / led flange static advertisement) inside ORAI, VGLJ & HPP-KLAR-BTX_railway station.
3. Display of commercial publicity at circulating area of CHITRAKUT DHAM KARWI Railway Station under OUT OF HOME POLICY.
4. Contract for setting up of rail cafe kiosk (Serving 24x7) in circulating area of Tikamgarh Railway Station.
5. Operate and Maintain of Battery-Operated Vehicles (BOV) with Advertisement at KHAJAURAHO station.
6. Contract for Multi-Functional Complex (MFC) in railway land at **BIX & PHOOLBAGH GWL** under miscellaneous static policy for a period of 12 years.

ई-नीलामी प्रारम्भ की तिथि व समय: दिनांक **20.07.2026** को समय- **11.00** से

ई-नीलामी समाप्त की तिथि व समय: दिनांक **20.07.2026** को समय- **12.50** तक

नोट:- उक्त ठेकों के आवंटन हेतु नीलामी केवल ऑनलाइन वेबसाइट- **www.ireps.gov.in** के **a-caution module** के माध्यम से की जायेगी। लॉट अनुसार विवरण उपर्युक्त केटलॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध है।

1510/26 FA

North central railways | @CPRONCR | www.ncr.indianrailways.gov.in

कार्यालय नगर पंचायत रनियाँ जनपद कानपुर देहात

पत्र संख्या- [illegible]

निविदा आमंत्रण सूचना

[illegible]

(मनीष राय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत रनियाँ
कानपुर देहात

(विटान दियाकर)
अध्यक्ष
नगर पंचायत रनियाँ
कानपुर देहात

SANJAY GANDHI POST GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Raebareli Road, Lucknow-226014 (UP)
Phone : 0522-2494055, 0522-2494038
Email:-jdmmsgpgi.ac.in, jdmmsgpgiims@gmail.com

Corrigendum

Corrigendum (Advt. no. 02/Hort./Contract Cell/2026-27) please refer Expression of Interest for Sitting/Relocation of Green Trees (2nd Time) published on 04.07.2026.
Interested bidders are required to submit their proposals on or before 30.07.2026 (Thursday) upto 04:30 PM in place of 25.05.2026.

ADVT.No.: 02/Hort./Contract Cell/2026-27 DIRECTOR

कार्यालयः नगर निगम, गोरखपुर

निविदा आमन्त्रण सूचना

नगर निगम, गोरखपुर द्वारा नगर निगम के नगर पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से एतद्वारा श्रेणी के अनुसार सीलबन्द ठेकेदारों के माध्यम से 28 कार्यों के निविदायें आमंत्रित की जाती है। वासमानित रूप आर.सी.सी.- [illegible]/2026, नगर निकाय अनुदान-28 हजार, शासनादेश, दिनांक 05.01.2026 के अनुसार एक निविदा में नगर निगम गोरखपुर एवं पंचायतीराज विभाग की प्रतिभाग कर सकते है। सर्वसुलभ निविदायें होने पर कार्यदिवस पश्चात अगले दिवस, गोरखपुर में पंजीकृत की अहर्ता पूर्ण प्रमाणित नगर निगम, गोरखपुर के पंजीकरण अनुभाग शाखा, पंजीकरण की अहर्ता सम्बन्धी विवरण के समक्ष मांगी की जुटान किये में कार्य किया है। नगर निगम कार्यालय के निर्माण विभाग - [illegible] के वेबसाइट https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in पर देखी जा सकती है।

निविदा किसी एवं खोलने की तिथि एवं समय

क्र.सं.	विवरण	दिनांक एवं समय
	ऑफलाइन निविदा क्रम सं. 01 से 28 तक	
1	ऑफलाइन निविदा बिक्री की तिथि/समय	06.07.2026
2	ऑफलाइन निविदा प्राप्त की तिथि/समय	07.07.2026
3	ऑफलाइन निविदा खोलने की तिथि/समय	07.07.2026

कार्यों का विवरण, पैमाना व शर्तें नगर निगम, गोरखपुर के वेबसाइट https://gorakhpurnagarnigam.up.gov.in एवं http://etender.up.nic.in पर उपलब्ध है साथ ही नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जा चुका है। किसी परिवर्तन, संशोधन व आपत्ति सूचनायें के लिये इस वेबसाइट एवं नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है।

एफ.सी. मेनी/नगर-सा/निविदा/2026-27
दिनांक: 03.07.2026

अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम, गोरखपुर

बिश्नोई गैंग से जुड़ा संदिग्ध दबोचा

पुणे। पुणे पुलिस ने पिछले महीने शहर के एक व्यवसायी के दफ्तर पर हुई फायरिंग मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि क्राइम ब्रांच ने शुक्रवार को राजस्थान के हनुमानगढ़ से संदिग्ध पवन राम को पकड़ा। पुणे के मंतरवाड़ी में 18 जून की रात स्टील व्यवसायी अमोल राजेंद्र चमादाई के दफ्तर पर दो अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की थी।

कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता/ जिला सहायक सहकारी निबंधक अधिकारी कानपुर नगर

पत्रांक: 412/[illegible]/2026-27 दिनांक: 30 जून/ 2026

जनपद कानपुर नगर की प्राथमिक सहकारी समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों का अनिश्चित आरक्षण

[illegible]

(आलोक प्रभाकर)
सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता/
जिला सहायक सहकारी निबंधक अधिकारी
कानपुर नगर/प्राधिकृत अधिकारी

'कोर्ट की मदद से साबूत जुटा सकती है पत्नी'

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए की टिप्पणी

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पति के विवाहेतर संबंधों को साबित करने के लिए फोन कॉल विवरण रिकॉर्ड और होटल बुकिंग की जानकारी जैसे सबूत जुटाने को पत्नी कोर्ट की मदद ले सकती है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने अलग रह रहे पति द्वारा 10 मई, 2023 के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। हाल ही में अपील खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, अदालत का मानना है कि विवादित फैसले में किसी भी दखल की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने 10 मई 2023 को कहा था कि हिंदू विवाह कानून व्यभिचार को तलाक का आधार मानता है और ऐसे में निजता के अधिकार के आधार पर उस विवाहित व्यक्ति की मदद करना जनहित में नहीं होगा, जिस पर विवाह के दौरान विवाहेतर यौन संबंध रखने का आरोप है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित है, लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं है।

अकासा एयर के बेड़े में जुड़ा 40वां विमान

नई दिल्ली। अपने हवाई सेवा नेटवर्क का विस्तार कर रही चार साल पुरानी अकासा एयर के बेड़े में 40वां विमान जुड़ गया है। इस साल अब तक कंपनी को नौ नए बोइंग 737 मैक्स विमान मिल चुके हैं। शनिवार को कंपनी ने एक बयान में यह जानकारी दी। बताया कि कंपनी को 40वें विमान का पंजीकरण नंबर हासिल हो गया है। कंपनी के संस्थापक और सीईओ विनय दुबे ने बताया कि यह एयरलाइन के लिए बड़ी उपलब्धि है। अगस्त 2022 में परिचालन शुरू करने वाली कंपनी अभी 28 घरेलू और सात अंतरराष्ट्रीय शहरों को जोड़ती है।

एक साल में सात सौ साइबर अपराधी धरे

चंडीगढ़। पंजाब राज्य की पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पिछले एक वर्ष में 729 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने शनिवार को यह जानकारी दी। डीजीपी यादव ने बताया कि बीते एक वर्ष में राज्य साइबर क्राइम डिवीजन सहित 29 साइबर क्राइम पुलिस थानों में 956 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 729 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पिछले चार वर्षों में राज्य साइबर क्राइम डिवीजन ने आम नागरिकों की मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने में उल्लेखनीय प्रगति की है।

मगरमच्छ ने चरवाहे को मार डाला

उमरी बेगमगंज, संवाददाता। सरयू नदी के सोनौली मोहम्मदपुर तटीय क्षेत्र में मगरमच्छों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को स्पर नंबर तीन और चार के बीच भैंस चरा रहे बच्ची माझा निवासी केशव यादव (65) पुत्र मंगी यादव की मगरमच्छ के हमले में मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केशव यादव अपने साथियों के साथ नदी किनारे भैंस चरा रहे थे। इसी दौरान मगरमच्छ ने अचानक उन पर हमला कर उन्हें अपने जबड़ों में दबोच लिया। पानी कम होने के कारण मगरमच्छ उन्हें गहरे नदी में नहीं ले जा सका। शोर सुनकर साथियों ने लाठियों से मगरमच्छ पर ताबड़तोड़ प्रहार किए, जिसके बाद उसने केशव यादव को छोड़ दिया।

टेलीग्राम पायरेसी रोकने को 15 दिन में कार्रवाई करे

निर्देश

एक-एक चैनल हटाना पर्याप्त नहीं : सरकार

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीग्राम को उसके मंच पर फिल्मों, ओटीटी कंटेंट और अन्य ऑडियो-विजुअल सामग्री की व्यापक पायरेसी को लेकर नोटिस जारी किया है। मंत्रालय ने टेलीग्राम को 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। नोटिस में मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि वह पायरेटेड कंटेंट की पहचान और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई करे। इसके साथ ही ऐसे कंटेंट तक पहुंच रोकने और उसे हटाने के लिए अपनी व्यवस्था को मजबूत करे।

शादी से पहले मंगेतर ने युवती पर किया हमला, हालत गंभीर

अम्बेडकरनगर, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र में शादी से महज दो दिन पहले ही शनिवार को मंगेतर ने अपनी होने वाली पत्नी के साथ शिवबाबा मंदिर में होनी तय थी। युवती ने पुलिस को बताया कि शनिवार को मूल्यंज ने उसे फोन कर फेशियल कराने के बहाने अकबरपुर बुलाया था। दोनों शादी के उद्देश्य से अकबरपुर शहजादपुर क्षेत्र पहुंचे थे।

(23) पुत्री करिया राजभर की शादी छह जुलाई को इब्राहिमपुर थाना क्षेत्र के बेवाना निवासी मृत्युंजय गौड़ पुत्र राम उजागिर के साथ शिवबाबा मंदिर में होनी तय थी। युवती ने पुलिस को बताया कि शनिवार को मृत्युंजय ने उसे फोन कर फेशियल कराने के बहाने अकबरपुर बुलाया था। दोनों शादी के उद्देश्य से अकबरपुर शहजादपुर क्षेत्र पहुंचे थे।

मालीपुर थाना क्षेत्र के अल्लीपुर गांव निवासी ज्योति

महिला के आत्महत्या मामले में पति, ससुर व देवर को जेल

गोसाईगंज (सुलतानपुर) संवाददाता। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के मलवा गांव में महिला की संदिग्ध मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि न होने के बाद पुलिस ने मृतक के पिता रामसुंदर वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने पति अनुराग वर्मा, ससुर दिनेश कुमार वर्मा और देवर राज वर्मा के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

सुबह घर के जीने के नीचे फंदे से लटका मिला था। घटना के बाद मृतक के पिता रामसुंदर वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने पति अनुराग वर्मा, ससुर दिनेश कुमार वर्मा और देवर राज वर्मा के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि नहीं हुई, बल्कि फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

विशेष रेलगाडी के अतिरिक्त फेरों का संचालन

भारतीय रेल द्वारा अपने सम्मानित रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 04137/04138 ग्वालियर-बरौनी (सप्ताह में दो दिन) विशेष रेलगाड़ी के अतिरिक्त फेरों के संचालन का निर्णय लिया गया है। निम्नलिखित रेलगाड़ियाँ अपने पूर्व निर्धारित समय, दिन, संरचना, ठहराव एवं मार्ग पर चलेंगी, जिसका विवरण निम्नवत् है :-

गाड़ी सं.	स्टेशन से स्टेशन तक	आवृत्ति	प्रस्थान के दिन	पूर्व अधिसूचित तिथि	संचालन की विस्तारित तिथि
04137	ग्वालियर - बरौनी	सप्ताह में दो दिन	शनिवार, मंगलवार	14.07.2026	18.07.26 से 26.09.26 तक
04138	बरौनी - ग्वालियर	सप्ताह में दो दिन	रविवार, बुधवार	15.07.2026	19.07.26 से 27.09.26 तक

नोट: ट्रेनों की समय-सारणी के सम्बन्धित जानकारी हेतु हेल्पलाइन 139 या Rail madad Mobile App या वेबसाइट railmadad.indianrailways.gov.in का प्रयोग करें।

उत्तर मध्य रेलवे
@CPRONCR | North central railways | www.ncr.indianrailways.gov.in 1528/26(D)

कार्यालय जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी, फतेहपुर

संख्या: 367/[illegible]/2026, फतेहपुर, [illegible] 2026-27 दिनांक: जुलाई 01, 2026

विज्ञप्ति

[illegible] शीघ्र अवगत कराया जाता है कि [illegible] 2026-27 [illegible] 12 फरवरी 2026 के पत्रांक 1.13(ख) के अनुसार शासकीय देशी गोदाम [illegible] की शर्तों में संशोधन सह अवधि बढ़ाकर सह परिसीमा/[illegible] की जा चुकी है। शासकीय देशी गोदाम के पट्टा हेतु देशी गोदाम को फुटकर दुकानों से विभाग के फुटकर विक्रय को उपलब्ध किया जा सकता है। उक्त पत्रक के प्रविधानानुसार जनपद की एक पात्री गयी कुल 05 दुकानों की सूची निम्नवत है:-

क्रमांक	प्रस्तावित देशी मदिरा दुकान का नाम	क्षेत्र
1	[illegible]	क्षेत्र-2, खागा
2	[illegible]	क्षेत्र-3, बिन्दकी

इच्छुक आवेदक निर्धारित शुल्क के अनुसार [illegible] हेतु लाइसेंस फीस रु0 270000/- जमा करने हुए एवं [illegible] 0.25 [illegible] 2026-27 तथा [illegible] धनराशि, बयाना (10 प्रतिशत) रु0 [illegible]/- का [illegible] अग्रिम में [illegible] के रूप में जमा करके [illegible] के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। इच्छुक ठेका अनुज्ञप्ति [illegible] जनपद की रु0 [illegible] से [illegible] जिला कार्यालय [illegible] से प्राप्त कर सकते हैं।

(अशोक कुमार)
जिला आबकारी अधिकारी
फतेहपुर

(विधि गुप्ता वत्स)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
फतेहपुर

ई-नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि (लाख में) बोली वृद्धि राशि
	झांसी शाखा, फॉट सं. 331/2-331/बी 1 झोकन बाग, नारायण घर्मशाला के पास, पी.पी. चाला, प्रथम तल, निजी दुकान सं. एफ-2, झांसी (उ.प्र.) पिन कोड-284001		
1.	**ऋणी:** 1. श्री राघव वर्मा पुत्र श्री नारायण दास वर्मा, 2. श्री रवि प्रकाश सोनी पुत्र श्री कैलाश नारायण सोनी **मांग सूचना दिनांक: 29.08.2022** **राशि: रू. 26,64,789.99** + ब्याज दिनांक 29.08.2022 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 21.11.2022 / सांकेतिक**	सभी भूमि एवं भवन स्थित मकान संख्या 75 1/2 पुराना, 102, नया मोहल्ला, नरसिंह राव तोरिया, तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 114.77 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती मिथला देवी त्रिपाठी का मकान, **पश्चिम:** नत्थू रायकवार का मकान एवं चबूतरा, **उत्तर:** रामदास पहलवान का मकान, **दक्षिण:** सामान्य 1.09 मीटर चौड़ी रोड	रू. 31.31 रू. 3.13 रू. 25,000/-
	मानिक चौक शाखा: डॉ. दयासागर कम्पाउण्ड, मानिक चौक, झाँसी-284002, उत्तर प्रदेश		
2.	**ऋणी:** मेसर्स वर्तिका ट्रेडर्स **ऋणी/प्रोपराइटर:** श्री अशोक कल्पना पत्नी श्री विकास सैन **जमानतकर्ता:** श्री विकास सैन पुत्र श्री रामबाबू सैन **मांग सूचना दिनांक: 29.09.2025** **राशि: रू. 15,59,895.15** + ब्याज दिनांक 29.09.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 11.12.2025 / सांकेतिक**	अचल संपत्ति का सांयिक क्षेत्र स्थित अराजी संख्या 448, मौजा गिजवाडा, झांसी जिलाद्वारी हाईवे के पास, तहसील एवं जिला झांसी, उत्तर प्रदेश 284003, मालिकः जमानतकर्ता श्री विकास सैन पुत्र रामबाबू सैन, कुल भूमि का क्षेत्रफल 92.94 वर्ग मीटर, **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** 5.50 मीटर चौड़ा रास्ता, **पश्चिम:** श्रीमती गीता का प्लॉट, **उत्तर:** विक्रेता का प्लॉट, **दक्षिण:** अभय गुप्ता का प्लॉट	रू. 10.27 लाख रू. 1.02 लाख रू. 25,000/-
	सी. पी. मिशन कम्पाउण्ड शाखा, राज एस्टेट, ग्वालियर रोड, राधिका मंडपम के सामने, झांसी (उ.प्र.), पिन कोड-284003		
3.	**ऋणी:** श्री जगत सिंह पुत्र नत्थू सिंह **सह-ऋणी:** श्री अशोक सिंह पुत्र श्री जगत सिंह **जमानतकर्ता:** श्रीमती ममता देवी पत्नी अशोक सिंह **मांग सूचना दिनांक: 22.08.2025** **राशि: रू. 9,01,296.94** + ब्याज दिनांक 22.08.2025 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 03.11.2025 / सांकेतिक**	सभी भूमि एवं भवन स्थित अराजी संख्या 1145 का प्लॉट, मौजा लहरिद आबादी/मोहल्ला दीन दयाल नगर तहसील एवं जिला झांसी **क्षेत्रफल:** 70.84 वर्ग मीटर **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** विक्रेता श्रीमती मंजू दत्ता का प्लॉट, **पश्चिम:** श्रीमती गोमती का मकान, **उत्तर:** 15 फीट चौड़ा रास्ता, **दक्षिण:** वर्मा जी एवं भगवती प्रसाद का प्लॉट	रू. 20.47 रू. 2.04 रू. 25,000/-
4.	**ऋणी:** श्री संतोष विश्वकर्मा पुत्र पुक्कू लाल **सह-ऋणी:** श्रीमती किरण विश्वकर्मा पत्नी संतोष कुमार **जमानतकर्ता:** श्री मोती लाल कुशवाह पुत्र स्व0 राम प्रसाद कुशवाह **मांग सूचना दिनांक: 10.05.2019** **राशि: रू. 7,87,553.56** + ब्याज दिनांक 10.05.2019 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 02.08.2019 / सांकेतिक**	सभी भूमि व भवन स्थित दादियापुरा प्रथम, मद्रासी कॉलोनी, तहसील एवं जिला झांसी, मालिक: किरण देवी कुशवाह पत्नी श्री संतोष विश्वकर्मा, क्षेत्रफल: 795 वर्ग फीट, **परिसर की चौहद्दी: पूर्व:** श्रीमती कलावती मिश्रा एवं अन्य का मकान, **पश्चिम:** मक्खन लाल विश्वकर्मा का मकान, **उत्तर:** बाउण्ड्री वॉल महाकालेश्वर मंदिर, **दक्षिण:** रास्ता 15 फीट	रू. 14.57 लाख रू. 1.45 लाख रू. 25,000/-

उपरोक्त सभी सम्पत्तियों हेतु धरोहर राशि जमा करने की अन्तिम तिथि 28.07.2026 शाम 04.00 बजे तक
उपरोक्त सभी सम्पत्तियों की ई-नीलामी दिनांक 28.07.2026 को समय प्रातः 11 बजे से शाम 5.00 बजे तक
(5 मिनिट अन्तराल के असीमित विस्तार के साथ)

विक्रय की नियम एवं शर्तें :- 1. यह ई-नीलामी **"जहां है, जैसी है" एवं "जो कुछ भी है"** के आधार पर हो रही है। 2. प्राधिकृत अधिकारी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास तक नीलामी की जा रही सम्पत्ति मार मुक्त है फिर भी इच्छुक निविदाकर्ता को चाहिए की ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व स्वतन्त्र रूप से सभी भार, टाइटिल क्लेम सांविधिक देयतायें (सीमा शुल्क एवं उत्पाद कर/आयकर एवं या अन्य कोई सरकारी एजेंसी) आदि की स्वयं जांच कर ले। सभी सम्पत्तियां सभी वर्तमान एवं भविष्य के ज्ञात अथवा अज्ञात भारों के साथ बेची जा रही है। प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के तृतीय / अन्य पक्षकार के क्लेम अधिकार एवं देनदारियों के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। 3. यह निविदाकर्ताओं का उत्तरदायित्व है कि ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सम्पत्ति का निरीक्षण कर पूर्ण रूप से संतुष्ट हो लें। सम्पत्ति के निरीक्षण के लिये बैंक ऑफ इण्डिया की संबंधित शाखा से सम्पर्क कर सकते है। 4. इच्छुक निविदाकारों वेब पोर्टल **https://www.BAANKNET.com** पर रजिस्टर करके आपना यूजर आईडी एवं पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे तथा इसी पोर्टल के माध्यम से ईएमडी जमा की जा सकती है। 5. वेब पोर्टल में पंजीकरण के पश्चात इच्छुक निविदाकर्ता निम्नलिखित दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व वेब पोर्टल में अपलोड कर ले। 1. पैन कार्ड की प्रति, 2. आईडी प्रूफ (केवाईसी) जैसे– स्वयं सत्यापित आधार कार्ड/वोटर आईडी कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स / पासपोर्ट आदि। 6. ई–नीलामी प्रक्रिया में केवल वैध यूजर आईडी, पासवर्ड धारक निविदाकर्ता ही भाग ले सकेंगे। 7. केवल वही इच्छुक निविदाकर्ता जिन्होंने ईएमडी भुगतान **दिनांक 28.07.2026** तक तय समय से कर दिया है, ही ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग ले पायेंगे। 8. यदि सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य रू 50 लाख तक है तो निविदाकर्ता निविदा की राशि रू. 25000/– के खण्ड में ही बढ़ा पायेंगे, इसी प्रकार यदि आरक्षित मूल्य रू. 50 लाख से अधिक है तो यह राशि रु. 50000/– होगी। 9. उच्चतम बोली लगाने वाले को प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति से सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। जिसकी जानकारी उसे इलेक्ट्रिक मोड द्वारा उनके ईमेल पते पर दी जायेगी। 10. प्राधिकृत अधिकारी उच्चतम बोली को भी स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी बोली को स्वीकार / निरस्त करने का अधिकार प्राधिकृत अधिकारी को ही होगा। 11. सफल बोलीकर्ता की ईएमडी राशि **BAANKNET** वॉलेट में ही रहेगी तथा सभी असफल बोलीकर्ता की राशि **BAANKNET** से वापस ली जा सकेगी। ईएमडी राशि पर **BAANKNET** द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा। 12. सफल बोलीकर्ता को विक्रय मूल्य (अर्थात अधिकतम बोली राशि) का 25 प्रतिशत (ईएमडी राशि सम्मिलित करके) तुरन्त जमा करना होगा। शेष बकाया राशि उसे 15 दिन या उसके अन्दर जमा करना होगा। सफल बोलीकर्ता द्वारा भुगतान में असफल रहने की स्थिति में उसके द्वारा जमा राशि बिना किसी पूर्व सूचना के जब्त कर ली जायेगी। 13. निविदाकर्ता को यह सलाह दी जाती है कि निविदा प्रस्तुत करने के पूर्व विस्तृत नियम एवं शर्तों की जानकारी **https://www.bankofindia.co.in, https://www.BAANKNET.com** से प्राप्त कर लें। 14. यदि विक्रय मूल्य 50 लाख रुपये या उससे अधिक है तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–ञ के अंतर्गत अधिकतम विक्रय मूल्य पर सफल बोलीदाता द्वारा टीडीएस कर देय होगा तथा सरकारी नियमों के अनुसार विक्रय मूल्य पर अतिरिक्त जीएसटी (जहां भी लागू हो) देय होगा। 15. इच्छुक निविदाकर्ता के पास बिड से संबंधित उचित संशोधन होने चाहिए, इस संबंध में कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जायेगी। 16. बोली आरक्षित मूल्य के ऊपर ही स्वीकार की जायेगी।

ऋणकर्ताओं /जमानतदारों /बंधककर्ता को 15 दिन की विक्रय सूचना

उपरोक्त वर्णित उधारकर्ता/जमानकर्ता/बंधककर्ता को धारा 13 (2) में वर्णित राशि नीलामी की तिथि के पूर्व भुगतान करने हेतु सूचना दी जाती है। राशि जमा करने में असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी तथा शेष राशि मय ब्याज तथा लागत के साथ आपसे वसूल की जायेगी अथवा उधारकर्ता उपरोक्त दिनांक को बैंक द्वारा उनके खाते में देय राशि की वसूली हेतु आयोजित नीलामी में भी भाग ले सकते हैं।

दिनांक: 01.07.2026 स्थान: झांसी प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

ई-नीलामी विक्रय सूचना

सरफेसी अधिनियम 2002 के अंतर्गत

बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमा पूंजी

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर-208011, दूरभाष : 0512-2985004

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) एवं 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति करण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणी (यों), जमानतकर्ता (ओं) को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक के ऑफ इण्डिया के पास गिरवी/प्रभारित है, का भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को **"जहां है, जैसी है एवं जो कुछ भी है"** के आधार पर नियम 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना वर्णित बकाया राशि एवं उस पर ब्याज, खर्च एवं व्ययों की वसूली हेतु विक्रय की जायेगी। सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है, आरक्षित मूल्य एवं धरोहर धनराशि सभी सम्पत्तियों के आगे अंकित है।

क्र. सं.	ऋणी /जमानतदार का नाम, मांग नोटिस दिनांक व राशि एवं कब्जा दिनांक/कब्जे का प्रकार	बंधक रखी सम्पत्ति का विवरण एवं सम्पत्ति के बंधककर्ता का नाम/ऋणी	आरक्षित मूल्य (लाख में) धरोहर राशि (लाख में) बोली वृद्धि राशि
	झांसी शाखा, फॉट सं. 331/2-331/बी 1 झोकन बाग, नारायण घर्मशाला के पास, पी.पी. चाला, प्रथम तल, निजी दुकान सं. एफ-2, झांसी (उ.प्र.) पिन कोड-284001		
1.	**ऋणी: मेसर्स भगवती रेल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक सुश्री कल्पना गुप्ता** **जमानतकर्ता–बंधककर्ता:** 1. श्री संदेश चंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल गुप्ता, 2. मेसर्स रामनाथ हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक श्री सुभाष चंद्र गुप्ता **जमानतकर्ता:** 1. श्री सतीश चंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल गुप्ता, 2. श्री सुभाष चंद्र गुप्ता पुत्र स्वर्गीय श्री बाबू लाल गुप्ता, 3. श्री धीरेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चंद्र गुप्ता, 4. श्रीमत अशरफ अहिरवार पुत्र श्री मंटू अहिरवार, 5. मेसर्स भगवती इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक कल्पना गुप्ता, 6. मेसर्स सोम्या इन्फ्राएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक कल्पना गुप्ता, 7. मेसर्स रामनाथ पीपीईसी बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक श्री नवीन गुप्ता **मांग सूचना दिनांक: 28.10.2021** **राशि: रू. 2,21,01,062.54** + ब्याज दिनांक 28.10.2021 से देय एवं अन्य खर्चे (बाद में वसूली की गई राशि घटाकर) **कब्जा दिनांक: 22.08.2022 / सांकेतिक**	भूमि एवं भवन के सभी भाग व खण्ड स्थित अराजी संख्या 456 एवं 477 राजगढ़, एक पारंपरिक आवासीय बहुमंजिला इमारत, सिग्नेचर टॉवर नामक आवासीय परिसर